"कि यह सभा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 27 मार्च 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

मैं मैसूर राज्य के सम्बंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 27 मार्च 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा के अनुमोदन के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

उद्घोषणा जारी किये जाने सम्बंधी राज्यपाल की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई है स्मरण रहे कि मार्च 1971 में श्री वीरेन्द्र पाटिल ने मुख्य मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया जिसके फ़लस्वरूप राज्य का 1971-72 का बजट पास न हो सका। विरोधी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद राज्यपाल इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्तमान विधान सभा में दूसरीं सरकार का बनाना सम्भव नहीं उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिशों की राष्ट्रपति की उद्घोषणा 27 मार्च 1971 को जारी की गयी।

उद्घोषणा जारी होने के बाद भी राज्यपाल ने वैकल्पिक सरकार बनाने के प्रयत्न जारी रखे। 14 अप्रैल 1971 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ख) के अधीन विधान सभा को भंग कर दिया। जारी की गयी उद्घोषणा का प्रभाव 27 मई, 71, को समाप्त हो जावेगा। मैं सदन से उद्घोषणा का अनुमोदन करने का निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बड़े।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : Mr. Deputy Speaker............

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब प्रधान मंत्री बंगला देश पर वक्तव्य देंगी। प्रधान **मंत्री।**

बंगला देश की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SITUATION IN BANGLA DESH

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय जब से संसद का गत सत्र समाप्त हुआ है, तब से सात सप्ताहों के समय में समूचे राष्ट्र का ध्यान बंगला देश में हो रही दु:खद घटनाओं की ओर आकर्षित है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च में जब हम यहां एकत्र हुए थे तो वातावरण आशा पूर्ण था। हम सब यह महसूस करते थे कि हमारे देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास होगा और युगों से चलती आ रही गरीबी को समाप्त करने के लिये कृत संकल्प होकर प्रयास किये जायेंगे। जब कि हम अपने ये नये कार्य प्रारंभ कर ही रहे थे, हमें एक नई और जटिल समस्या ने आ दबाया जो कि हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है।

शरणार्थियों के दुख में शामिल होने, उनके प्रति इस सभा और भारत की जनता की सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करने तथा उनकी देख रेख के लिये किये गये प्रबन्धों की स्वयं जांच करने के विचार से मैंने 15 और 16 मई को असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। मुझे दुख है कि इस बारे में अन्य शिविरो का दौरा नहीं कर सकी। स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थाओं सहित सभी उपलब्ध इमारतों का अधिग्रहण कर लिया गया है। हजारों तम्बू लगा दिये गये हैं और 335 शिविरों में, जो अब तक स्थापित किये गये है, यथा शीघ्र अस्थायी आश्रय गृहों का निर्माण किया जा रहा है। अपने सभी प्रयत्नों के बावजूद हम सीमा पार करके आने वाले सभी व्यक्तियों को आश्रय स्थान मुहैया नहीं कर पाये हैं और बहुत से व्यक्ति अभी खुले में ठहरे हुए हैं।

जिला अधिकारियों पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। इससे पूर्व कि वे पहले आ चुके लोगों के लिये प्रबन्ध पूरे कर सके, प्रतिदिन 60,000 व्यक्ति और आ जाते हैं।

इतने थोड़े समय में इतने अधिक व्यक्तियों का आ जाना इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। पिछले आठ सप्ताहों के दौरान बंगला देश से लगभग 35 लाख व्यक्ति भारत आ चुके हैं। उनमें हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध तथा ईसाई सभी धर्मों के व्यक्ति हैं। इनमें समाज के सभी वर्गों और सभी आयु के लोग हैं। विभाजन के पश्चात् से शरणार्थी शब्द का जो अर्थ हमने समझा, ये लोग इस अर्थ में शरणार्थी नहीं हैं। वे युद्ध से पीड़ित हैं और उन्होंने सीमा पार के क्षेत्रों में सैनिक आंतक से त्रस्त होकर यहां शरण ली है।

बहुत से शरणार्थी जख्मी हैं। और उन्हें तत्काल डाक्टरी देख रेख की अपेक्षा है। त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में मैंने कुछ एसे व्यक्तियों को देखा है। हमारे सभी सीमावर्ती राज्यों में चिकित्सा सुविधाएं ऐसी स्थिति तक पहुंच चुकी है जहा से आगे बढ़ना असंभव है। राजस्थान राज्य द्वारा दान में दिये गये 400 बिस्तरों के एक चलते फिरते अस्पताल सहित 1100 नये बिस्तरों के अस्पताल के उपकरण इन राज्यों को तत्काल भिजवाये गये हैं। मुख्य शिविरों में सर्जनों, डाक्टरों नर्सों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के विशेष दल भेजे गये हैं। उच्चतम प्राथमिकता पर जल प्रदाय की विशेष योजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है और बड़े स्तर पर स्वास्थ्य संरक्षण कार्यवाही की जा रही है।

हमारे उन सीमावर्ती राज्यों में, जो कि पाकिस्तान की घटनाओं के कुप्रभावों का सामना कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन का ध्यान सामान्य तथा विकासशील कार्यों से हट कर शिविर प्रशासन सिविल सप्लाई और सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं की ओर चला गया है। परन्तु हमारे लोगों ने शरणार्थियों की कठिनाईयों को अपनी कठिनाईयों से तरजीह दी है और साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की पाकिस्तानी एजेंटों की चालों के प्रति दृढ़ता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि लोग इस प्रकार की उच्च भावना बनाये रखेंगे।

वर्तमान अनुमानों के अनुसार छ: महीनों की अवधि में अकेले राहत कार्यों पर ही केन्द्रीय राजकोष का व्यय 180 करोड़ रुपये से अधिक होगा। जैसा कि माननीय सदस्य समझते होंगे, इस सब से हमारे ऊपर अप्रत्याशित बोझ आ पड़ा है।

बंगला देश के इन लोगों ने जिस हिम्मत के साथ पीड़ा सहन की है और अपने भविष्य के सम्बन्ध में जिस प्रकार उनमें विश्वास है उससे मेरे मन में दिलासा है। यह कहना शरारतपूर्ण है कि बंगला देश में जो कुछ हुआ है उसमें भारत का हाथ था। इस प्रकार की बातें कहना बंगला देश के लोगों की आकाक्षाओं और उनके पवित्र बलिदान के प्रति निरादर है और पाकिस्तानी शासकों द्वारा किये गलत कार्यों के लिये भारत को दोषी ठहराने की कोशिश है। विश्व को धोखा देने की भी यह एक कुचेष्टा है। विश्व के समाचार पत्रों को पाकिस्तान की धोखे बाजी का पता लग गया है। इन तथा कथित भारतीय घुसपैठियों में से अधिकांश महिलाएं बच्चे और वृद्ध हैं।

इस सभा ने अपने देश के अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार किया है। परन्तु जितनी गहराई तक हमारे दिलों को बंगला देश की घटनाओं ने छुआ है उतना अन्य किसी घटना ने नहीं। जब इस प्रकार की गंभीर स्थिति सामने हो तो सारी स्थिति और इस सब के कारण हम सब पर आ पड़े उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में इस सभा तथा अपनी सारी जनता के समक्ष कहे जाने वाले शब्दों को अत्यन्त सोच समझ कर कहना विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है।

गत 23 तथा इससे अधिक वर्षों के दोरान हमने पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कभी भी प्रयास नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान का व्यवहार इसी प्रकार संयत नहीं रहा। अब भी हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। परन्तु वास्तविक्ता क्या है? जिस समस्या को पाकिस्तान का आन्तरिक मामला कहा गया, वह भारत की भी आन्तरिक समस्या बन गई है। अत: हमें यह अधिकार हो जाता है कि हम पाकिस्तान को सचेत करें कि वह इस प्रकार की उन सब कार्यवाईयों को तुरन्त बन्द कर दे जिन्हें वह आन्तरिक क्षेत्राधिकार के नाम पर कर रहा है और जिनका हमारे करोडों नागरिको की शांति तथा समृद्धि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान को इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि वह अपनी राजनैतिक अथवा अन्य समस्याओं का हल भारत तथा भारतभूमि की कीमत पर करें।

क्या पाकिस्तान को यह अधिकार है कि वह शस्त्रों के बल पर न केवल अपने सैंकड़ों, हजारों, लाखों बल्कि करोडों नागरिकों को अपने घर छोडने को बाध्य करें? हमारे लिये यह असहनीय स्थिति है। हमने जो इन करोडों अभागों को आश्रय देने को बाध्य होना पड़ा। इस तथ्य को अधिकाधिक लोगों को सीमा के इस पार धकेलने का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

हमें अपनी सहनशक्ति की परम्परा पर गर्व है। अपनी असहनशीलता के क्षणों पर हमने सदैव पश्चाताप किया है और लज्जित हुए हैं। हमारे राष्ट्र और हमारी जनता को शांति में निष्ठा है और हमने कभी भी युद्ध अथवा युद्ध की धमकी की बात नहीं की है। किन्तु में अपनी जनता को सतर्क करना चाहती हूं कि हमें और भी भारी बोझ उठाने पड़ सकते हैं।

जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है वे केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं। वास्तव में मूल समस्या तो अन्तर्राष्ट्रीय है।

विदेशों में स्थित अपने प्रतिनिधियों द्वारा तथा विदेशी सरकारों के भारत स्थित प्रतिनिधियों द्वारा हमने विश्व की आत्मा को जागृत करने के प्रयास किये हैं। हमने संयुक्त राष्ट्रसंघ से अपील की है और ऐसा प्रतीत होता है कि अन्ततोगत्वा इस समस्या का वास्तविक रूप विश्व के कुछ राष्ट्रों की समझ में आ रहा है। तथापि मैं इस बात पर सदन के साथ सहमत हूं कि इस दुःखद घटना के प्रति विश्व में प्रतिक्रिया प्रकट होने में जो असहनीय समय लग रहा हैं, उससे हमें निराशा हुई है।

न केवल भारत को अपितु प्रत्येक देश को अपने हितों का विचार करना पड़ता है। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने अपने निष्ठुर कार्यो के शांति अच्छे पड़ोशिपन तथा मानवता के बुनियादि सिद्धांतों की जो हत्या की है मेरा विचार है, उसके विरुद्ध आवाज उठाकर में इस प्रतिष्ठित सभा और अपनी जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रही हूँ। भारत की विशाल जनता की शांति और स्थिरता को वे चेतावनी दे रहे हैं।

महासचिव, ऊथांट की सार्वजनिक अपील का हम स्वागत करते हैं। हमें प्रसन्नता है कि कुछ राष्ट्रों पर इसका प्रभाव हुआ है या हो रहा है। परन्तु इस सहायता का महत्व तभी है जब यह समय पर मिले इसके अतिरिक्त इन लाखों लोगों को राहत देने का प्रश्न इस समस्या का केवल एक भाग है। लगातार अथवा स्थायी रूप से राहत दी भी नहीं जा सकती और न ही हम ऐसा चाहते भी हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जानी चाहियें कि और शरणार्थियों का आगमन रुके और भविष्य में उनकी सुरक्षा एवं कुशल क्षेम के आश्वासनों के साथ शीघ्र ही उनका लौटाना सुनिश्चित हो सके। मैं सम्पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ यह कह रही हूँ कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस उप-महाद्वीप में स्थिरता एवं शाँति नहीं रह सकती। हमने अन्य शक्तियों से अनुरोध किया है कि इस तथ्य को स्वीकार करें। यदि विश्व इस ओर कोई ध्यान नहीं देता तो हमें अपनी सुरक्षा तथा अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन के ढांचे के संरक्षण और विकास हेतु यथा आवश्यक सभी कदम उठाने के लिये बाध्य होना पडेगा।

हम इस बात को मानते हैं कि पूर्वी बंगाल की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता। इसके लिये राजनैतिक समाधान उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत होना चाहिये जिनके पास ऐसा करने की शक्ति है। विश्वमत में बड़ा बल है, सर्व शक्तिशाली को भी यह प्रभावित कर सकता है। बड़ी शक्तियों का विशेष उत्तरदायित्व होता है। यदि वे ठीक से और त्वरित रूप से अपनी शक्ति को प्रयोग करें। तभी हम अपने उप-महाद्वीप में स्थायी शांति की आशा कर सकते हैं। यदि वे असफल हुई और मेरा विश्वास है कि वे असफल नहीं होंगी तो मानवीय अधिकारों के इस दमन से, लोगों को उजाड़े जाने से और असंख्य व्यक्तियों को निरन्तर आश्रय हीन बनाने से शांति को खतरा होगा।

इस स्थिति का समाधान पक्षपातपूर्ण भावना से या दलीय राजनीति से नहीं किया जा सकता। इसके अन्तर्गत आने वाले विषयों के साथ प्रत्येक नागरिक का सम्बन्ध है। मुझे आशा है कि यह संसद, हमारा देश और हमारी जनता आवश्यक कठिनाइयों को सहन करने के लिये तत्पर रहेगी, जिससे कि हम अपनी जनता और उन लाखों लोगों के प्रति, जो वहां के आतंक से डर कर अस्थायी शरण प्राप्त करने यहां भाग आये हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभा सकें।

इस सब के कारण हमारे बहुत कर्तव्य बनते हैं और इसके लिये बड़े राष्ट्रीय अनुशासन की आवश्यकता है। हमें बहुत अधिक कुरबानियां करनी होंगी। हमारे कारखानों और हमारे खेतों का उत्पादन बढ़ना चाहिये। हमारा रेल विभाग तथा सारी यातायात और संचार व्यवस्था बाधा रहित रूप से चलती रहनी चाहिये। यह समय प्रादेशिक अथवा वर्गीय हितों के प्रदर्शन का नहीं है। हमारे आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बनाये रखने के लिये तथा राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिये हमें प्रत्येक अन्य बात को गौण स्थान देना चाहिये। मैं प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे से यह अपील करती हूँ कि वे सेवा तथा बलिदान की भावना से अनुप्राणित रहें और जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि मेरा यह राष्ट्र समर्थ है।

श्री समर गुह (कंटाई) : स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने अध्यक्ष से भेंट की थी। तत्पश्चात हमें यह सूचना दी गई थी कि बंगला देश की स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वक्तव्य के आधार पर सभा में कुछ विचार विमर्श किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये नियमानुसार आपको सूचना देनी होगी।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : वक्तव्य को परिचालित किया जा सकता है।

Shri R. V. Bade (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the resolution brought by Shri Pant seeks the approval of the House on the promulgation of President's Rule in Mysore. Mysore has always been a progressive state. Therefore, while doing so we should examine the main causes due to which the President's Rule was promulgated in Mysore. It should be under stood that the defection is the main factor behind the situation and a law should be made for dealing with the tendency of defections. If this tendency is not curbed a day may come when all the states would come under thePresident's Rule We have observed that Shri Virendera Patel tendered his resignation on 18 th. March and the Assembly was suspended on 27 th March followed by the promulgation of the President's Rule. While exploring the possibilities of forming a new Ministry Shri Patil commented that he was not prepared to form any ministry in which there should be any defector. In this context I urge upon you that the tendency of defection must be checked through an effective measure.

I would also like to say a few words regarding the appointments of Governors. Since 1967, the Governors have been assigned some responsibilities. In view of that a Bill was brought before the House in the last Lok Sabha in connection with laying down names for the selection of Governors. My submission is that Bill should be received and the Parliament should be consulted in appointing the Governors.

It is a matter of happiness that the present Governor of Mysore state is Shri Dharm Vira and has earned a good name for his Governorship.

At present Mysore state is under the President's Rule and therefore it is the duty of the Centre to solve the disputes between Mysore and Maharashtra. The Mahajan Commission has submitted their Report on Belgaon. The suggestion of the Commission are acceptable to Mysore but Maharashtra Government are not prepared to accept it. In this situation Government should take active step to solve all such problems. It must be the

duty of the Centre to form certain names and rules under which the inter-state disputes could be solved amicably.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय ! मैसूर में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का मैं समर्थन करता हूँ श्री वीरेन्द्र पाटिल की सरकार में आंतरिक मत भेद था तथा उनकी सरकार को हटने पर जनता की आकांक्षाएं पूरी हो गई।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैसूर में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है किन्तु उसके पश्चात वहां कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो दुखद है। मुझे सभा के समक्ष यह निवेदन करना है कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन का लाभ उठाकर श्री निजलिंगप्पा और श्री वीरेन्द्रपाटिल के अनुगामियों को विभिन्न निगमों के चेयरमेन नियुक्त करने का प्रयास किया है। उन्हें अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिये तथा उन्हें संविधान के अन्तर्गत मिली शक्तियों का ही उपयोग करना चाहिए। किन्तु उन्होंने बदनाम राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर इस प्रकार के बहुत से प्रयत्न किये हैं। अत: सरकार को इस स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए।

मैसूर की विघठित विधान-सभा के सदस्यों और संसद सदस्यों ने सरकार का कई बार मैसूर की विकास सम्बन्धी गतिविधियों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है। केन्द्रीय सहायता अत्यन्त कम है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मैसूर के सीमा सम्बन्धी विवादों को हल किया जाये तथा महाजन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाये।

कावेरी नदी के जल से सम्बन्धित विवाद भी अभी तक हल नहीं हो पाया है। मैसूर में खाद्यान्न की कमी है तथा वहां की जनता की विभिन्न समस्याओं को ठीक ढंग से सुलझाने का प्रयत्न ही नहीं किया गया। श्री निजलिगप्पा तथा श्री पाटिल के नेतृत्व में केवल क्षेत्रीयवाद, जातिवाद और साम्प्रदायिकता को ही प्रोत्साहन मिला है : साथ ही लगभग 20-25 परियोजनाएं ऐसी हैं जो केन्द्र सरकार की मन्जूरी के लिये पड़ी है। मुझे आशा है कि सिंचाई मन्त्रालय इस मामले पर ध्यान देगा तथा वहां से सम्बन्धित सभी परियोजनाओं के लिये मंजूरी दे देगा।

मैं यह भी माँग करता हुं कि मैसूर के राज्यपाल के विरुद्ध राष्ट्रपति शासन के दौरान की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में जांच कराई जाय तथा वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैसूर में शीघ्र चुनाव कराये जायें। मेरे विचार से मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण पूरा हो गया है अथवा होने वाला है। अत: अक्तूबर/नवम्बर के महीने में चुनाव करा दिये जाने चाहियें।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : महोदय ! मैसूर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा का मैं समर्थन करता हूँ। इस उद्घोषणा के साथ ही राजनीतिज्ञों के उस गुट का अंधकार पूर्ण शासन समाप्त हो गया जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार था। समय के परिवर्तन के साथ

षडयंत्र रचने वाली सरकार का वहां अन्त होगया । मैसूर की जनता ने श्री वीरेन्द्र पाटिल सरकार के विरुद्ध कुछ वर्ष पहले ही अपना निर्णय कर दिया था । किन्तु किसी को इस बात की सम्भावना नहीं थी कि उनकी सरकार का अब इतनी शीघ्र पतन हो जायेगा ।

मैं सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि राज्य की विधान–सभा के 35 सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें श्री वीरेन्द्र पाटिल तथा उनके जीहुजूरों के द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध जांच करने की मांग की थी । मेरे विचार से सरकार का यह परम कर्तव्य है कि इतने सदस्यों के आग्रह पर उनकी न्यायिक जांच कराई जाये । इस उद्देश्य के लिये अभी कोई विशेष देर नहीं हुई है । साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि इन मामलों की जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कराई जाये ।

श्री लकप्पा ने सदन का ध्यान मैसूर राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद उदूं घटनाओं की ओर उल्लेख किया है । भूतपूर्व मंत्रियों को नए निगमों के चेयरमेन बनाने की बात उचित नहीं प्रतीत होती है । मैसूर के मत्स्य पालन निगम में, वन विकास निगम में इसी प्रकार के मंत्रियों को चेयरमेन के पद पर मनोनीत किया गया है । मेरा प्रश्न है कि क्या राज्यपाल को कोई अन्य ऐसे व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे जो इन पदों पर कार्य करने के लिये उपयुक्त हों । मैसूर की जनता अपने प्रतिनिधियों से यही प्रश्न पूछती है अतः हमारा यहाँ इन प्रश्नों को उठाना आवश्यक है ।

राज्यपाल अन्य अनेक प्रशासनिक निर्णय भी ले रहे हैं । मैसूर राज्य के राज्यपाल ने सप्ताह में पांच दिन कार्य करने का सूत्र उद्घोषित किया है मैसूर के ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे ग्रामीण जनता की कठिनाइयों का पूरा पता है । यदि सरकारी कार्यालय शनिवार को भी बन्द रहेगे तो सरकारी कार्य में और भी देरी होगी तथा जनता को भारी कठिनाई उठानी पड़ेगी ।

मैं राज्यपाल के कार्य की आलोचना न करते हुये केवल उन्हें इस बात के लिये सचेत करना चाहता हूं कि उन्हें जनता की भावनाओं का भी आदर करना चाहिये तथा उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए ।

लोक प्रिय सरकार की अन्य किसी सरकार या प्रशासन से तुलना ही नहीं की जा सकती चाहे लोकप्रिय सरकार कार्यकुशल हो अथवा नहीं किन्तु उसका कोई जोड़ ही नहीं हैं । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मैसूर में शीघ्र ही चुनाव करायें ।

कहा गया है कि अधिक वर्षा के कारण नवम्बर महीने में चुनाव नहीं कराये जा सकते । किन्तु मैसूर से आने के कारण मैं जानता हूं कि वहां अक्तूबर के मध्य तक वर्षा समाप्त हो जाती है । पता चला हैं कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण आरम्भ हो गया हैं तथा एक दो महीने में यह कार्य पूरा हो जायेगा । अतः निवेदन है कि अक्तूबर के मध्य में चुनाव करा दिये जाने चाहिये ।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० भारत इलैक्ट्रीकल लि० आदि उद्योगों को देखकर देश में यह भावना उत्पन्न की जा रही

है कि सभी उद्योग बंगलौर के आस पास एकत्रित होते जा रहे हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि अन्य राज्यों की तुलना में मैसूर को केन्द्र से मिलने वाली सहायता की राशि बहुत कम है। अतः मेरा निवेदन है कि मैसूर के लिये केन्द्रीय सहायता में भी वृद्धि की जाये।

जहां तक नदी के जल से सम्बन्धित विवाद का प्रश्न है, मैसूर में सिंचाई की प्रतिशतता केवल 8 है जबकि आंध्र में 38, तमिलनाडु में 32, और महाराष्ट्र में लगभग 30 है। इसी प्रकार कावेरी के बेसिन पर मैसूर केवल 2 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत ला सका है जबकि तमिलनाडु सरकार 14 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाई है। कावेरी मैसूर राज्य में ही निकलती है अतः हमारा अनुरोध है कि सरकार उससे सम्बन्धित हमारी कुछ परियोजनाओं को स्वीकार करले। मुझे आशा है कि डा. राव हमारी हेमावती परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकार करलें। मुझे आशा है कि डा० राव हमारी हेमावती परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओ को अवश्य स्वीकार कर लेंगे जो मैसूर राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होंगी। योजना आयोग ने भी इन क्षेत्रों को पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में मान लिया है अतः सरकार को इसके लिए अधिक सहायता देनी चाहिये।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैसूर को जनता ने प्रधान मन्त्री से बहुत सी आशाएं लगा रखी हैं तथा उन्होंने प्रधान मन्त्री के प्रति पूरा विश्वास दिखाया है अतः सरकार द्वारा हेमावती परियोजना के सम्बन्ध में शीघ्र ही अनापत्ति पत्र दिया जाना चाहिये। तथा उसके लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिये क्योंकि मैसूर के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

अन्त में मैं राज्यपाल को पुनः सचेत करना चाहता हूँ कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि अब समय बदल गया है। उन्हें अपनी संवैधानिक सीमाओं और जनता की रुचि का ध्यान रखना चाहिये।

वह स्वतंत्र रूप से बिना सलाहकारों की मदद से प्रशासन चलाना चाहते हैं। यह अनुचित है। आशा है राज्यपाल इन बातों की ओर गम्भीरता से ध्यान देंगें।

श्री एम० के० कृष्णान् (पोन्तारणी) ×× महोदय ! यह मेरे लिये सोभाग्य की बात है कि मैं इस अवसर पर अपनी मातृभाषा मलयालम में बोल रहा हूँ

महोदय ! इस संकल्प में सभा से मैसूर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से सम्बन्धित उद्घोषणा का अनुमोदक मांगा गया है। वाद विवाद में भाग लेते हुए श्री कृष्ण ने टिप्पणी की है कि जहां भी श्री धर्मबीर गये हैं वहीं राष्ट्रपति शासनलागू किया गया है। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् सरकार ने उन राज्यों की सरकारों का पतन किया है जहां केन्द्र की सत्तारूढ सरकार के दल से भिन्न दलों की सरकार रही हैं।

1952 के आम चुनावों के बाद संविधान का अनुच्छेद 356 का उपयोग पहली बार 'पैप्सू'

××मलयालम में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर

में किया गया था । उसके पश्चात इसका उपयोग ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के साथ किया गया था । किन्तु उस समय दोनों ही राज्यों में धर्मबीर नहीं थे । 1967 के ग्राम चुनावों के बाद कई राज्यों में गैर कांग्रेस दलों की सरकारें बनी तथा उन सभी के विरूद्ध इस अनुच्छेद का उपयोग किया गया अतः अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत व्यवस्था इस प्रकार की है कि केन्द्र में सत्तारूढ दल कभी भी अन्य दल की सरकार को गिरा सकती है ।

मैसूर में पुरानी कांग्रेस की सरकार बनायी किन्तु उसमें से कुछ सदस्यों को तोड़ लिया गया जिससे उस दल का बहुमत समाप्त होने पर मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल को विधान सभा को भंग करने और नये चुनाव करने की सलाह दी ।

महोदय ! दलबदल की प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार को एक विधेयक लाना चाहिये तथा उसमें यह व्यवस्था होनी चाहिये कि जो सदस्य दल बदलता है उसे त्याग पत्र देना होगा तथा पुनः आने के लिये चुनाव जीतना होगा ।

श्री बालतन्डायुतम (कोयम्बटूर) महोदय ! मैसूर में वीरेन्द्र पाटिल सरकार के पतन पर किसी को दुःख नहीं होना चाहिये क्यों कि वह तो जनता की मांग थी । इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार को वहां शीघ्र ही चुनाव कराने चाहियें तथा उनके लिये एक निश्चित तिथि निर्धारित कर देनी चाहिये ।

दूसरा निवेदन यह है कि कावेरी जल सम्बन्धी विवाद को शीघ्र हल किया जाना चाहिये । मेरे विचार से हेमावती बांध परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में सभी दलों समान भावना होगी किन्तु फिर भी इस समस्या का समाधान मैसूर और तमिलनाडु में पारस्परिक विचार विमर्श करके किया जाना चाहिये । जिससे किसी को भी हानि न हो । मेरा निवेदन है कि हम इस विवाद को यह कहकर न टाला जाये कि क्योंकि वहां लोक प्रिय सरकार अभी नहीं है अतः उसका निपटारा अभी नहीं हो सकता ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया तथा संकल्प का समर्थन किया ।

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य जिन्होंने मलयालम में भाषण दिया, ने पांच महीने में मैसूर में विद्यमान वास्तविक स्थिति का पता नहीं था । राज्यपाल ने वहां इस बात की पूरी जांच करली थी कि क्या वहां कोई दूसरी सरकार बन सकती है अथवा नहीं । पूरी जांच के पश्चात ही राज्यपाल ने केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये । हम राज्यपाल के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं उठाना चाहते । किन्तु यदि सदन शुरू समय की परिस्थति को स्मरण करें तो मेरे विचार से वहां केवल हमारे दल की सरकार बनने की ही सम्भावना हो सकती थी ।

वहां सरकार बनाने के सम्बन्ध में यदि कोई अन्य प्रयत्न नहीं हुआ तो इससे केवल हमारा

दल ही अवसर से वंचित रहा है न कि कोई अन्य दल । इस स्थिति से दल-बदलने की प्रकृति को भी धक्का लगा है ।

दल बदलने से प्रश्न पर विचार करने के लिए पिछली लोक सभा के कार्यकाल में एक समिति बनाई गई थी और समिति के एक मत के आधार पर एक विधेयक का मसौदा भी तैयार किया गया था । प्रधान मन्त्री ने इस विधेयक के संबंध में विरोधी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की तथा उस विधेयक के संबन्ध ठोस सुझाव देने के लिए उनसे अनुरोध किया । अभीं तक सब दलों के विचार प्राप्त नहीं हुए । सरकार को आशा है कि इस सम्बन्ध में मतैक्य प्राप्त हो जायेगा और शीघ्र ही विधेयक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

गर्वनरों के स्वाविवेक कृत्यों के अनुपालन के सम्बन्ध में 1971 के आम चुनावों से पूर्व सुनिश्चित किये गये निर्देश पदों अथवा आदर्शों के सम्बन्ध में गृह मन्त्री, श्री चव्हाण ने पांच प्रमुख विधिवेताओं के साथ विचार-विर्मश करने के पश्चात विरोधी पक्ष के नेताओं और राजनैतिक दलों के साथ बातचीत की और कुछ बातों पर मतैक्य हुआ । सरकार ने विरोधी नेताओं की इस विषय में सहमति मांगी । केवल कुछ नेताओं के विचार ही प्राप्त हुए हैं परन्तु फिर भी सरकार ने मतैक्य के विषय और विधिवेताओं द्वारा कही बातें भी गवर्नरों को सम्प्रेषित कर दिये हैं ।

जहां तक जल विवाद और सीमा विवादों का सम्बन्ध है सरकार इनका सन्तोष जनक हल चाहती है ज्येकि आपसी आधार पर सौहार्द और सहयोग की भावना पर आधारित हो । ऐसा न होने की स्थिति में ही केन्द्रीय सरकार इनमें दखल करती है ।

जहां तक मैसूर में चुनावों का सम्बन्ध है । सरकार शीघ्र ही वहां पर चुनाव करवाना चाहती है । राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने की सरकार की कभी भी इच्छा नहीं रहती । जहां भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वहां पर ही सरकार ने यथासम्भव शीघ्रता के साथ चुनाव करवाने के प्रयास किये ।

देश भर में मतदाता-सूचियों के ठीक न होने के संबन्ध में शिकायते थीं अतः चुनाव आयोग द्वारा मैसूर सहित अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है । इन संशोधित सूचियों के तैयार हो जाने पर राज्य विधान सभाओं के चुनाव करवाये जाएंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि यह सभा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 27 मार्च 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted